

कार्यालय नजूल अधिकारी रायपुर एवं प्राधिकृत अधिकारी नगर  
पालिक निगम बीरगांव जिला - रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /

/रा.गं.आ.यो. / नजूल / 2019

रायपुर, दिनांक..... / ..... / 2019

// दावा आपत्ति सूचना //

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम बीरगांव क्षेत्रांतर्गत राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहिन व्यक्ति (पट्टाघृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1984 अधिनियम यथासंशोधित वर्ष 2019 द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.05.2019, 31.08.2019 नियम 2019 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वार्ड क्रमांक 01 से 05 उरला में सर्वेक्षण दल द्वारा सर्वे उपरान्त तैयार सर्वे सूची अवलोकन हेतु नगर निगम वार्ड कार्यालय - पटवारी कार्यालय के पास रावण भांठा उरला में उपलब्ध है। उक्त सर्वे सूची के संबंध में दावा आपत्ति दिनांक 21.11.2019 से 28.11.2019 तक कार्यालयीन समय में आमंत्रित की जाती है निर्धारित तिथि के पश्चात दावा आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

नजूल अधिकारी रायपुर  
एवं प्राधिकृत अधिकारी

नगर पालिक निगम बीरगांव  
रायपुर, दिनांक..... / ..... / 2019

पृ. क्रमांक / 370 / रा.गं.आ.यो. / नजूल / 2019  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2 प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिक निगम बीरगांव के सूचना फलक चरप्पा हेतु।
- 3 निज सहायक माननीय महापौर/सभापति नगर पालिक निगम बीरगांव को सूचनार्थ।
- 4 आयुक्त, नगर निगम बीरगांव को निगम क्षेत्रान्तर्गत दावा आपत्ति स्थल वार्ड कार्यालय पटवारी कार्यालय के सामने उरला में सर्वे सूची चरप्पा हेतु पालनार्थ।
- 5 श्री रवि विश्वकर्मा, नायब तहसीलदार धरसीवां को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
- 6 पार्षद वार्ड क्रमांक ..... नगर पालिक निगम बीरगांव को सूचनार्थ।

नजूल अधिकारी रायपुर

एवं प्राधिकृत अधिकारी

नगर पालिक निगम बीरगांव

"जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ न बहाये" "जन्म मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराये" "ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है" "समय पर कर (टैक्स) जमा करें"

C:\Users\ank\Desktop\Letter 2019.docx